कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
प्लाट नं 220 राजस्व भवन, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
दूरभाष-0755-2559537, फैक्स-0755-2550972, ई-मेल-
Prirevcom@mp.gov.in

क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC/877 भोपाल दिनांक:- 07/02 /2023

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंर्तगत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में किये जाने बावत्।

****

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-13/2021/सात-7 भोपाल दिनांक 28/10/2021 से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस योजनांर्तगत पूर्व में विभागीय पत्र क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC/1939 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2022 एवं पत्र क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC/7760 भोपाल दिनांक 18 अगस्त 2022 से अभियान के रूप में क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया था। पत्र की प्रतियां संलग्न हैं।

2. पूर्व में जारी दोनों कार्यक्रम अवधि में योजनांतर्गत् लगभग 14 लाख आवेदकों के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु इस बात की संभावना अभी भी है कि कुछ पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हों। अत: लोकहित में पूर्व में जारी कार्यक्रम के अलावा पत्र क्रमांक PRC/IT/0009/2022-Iiti-PRC/229 भोपाल दिनांक 06.01.2023 से एक अतिरिक्त अभियान (तृतीय चरण) प्रारंभ किया गया है।

3. अभियान के तृतीय चरण का संचालन निम्न सारणी अनुसार किया जाऐ-

नियत दिनांक	गतिविधि
10 मार्च 2023	आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
20 मार्च 2023	प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA App पर) व जॉच दल की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किया जाना (SAARA App पर) की अंतिम तिथि/ तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि अनुपलब्धता होने की दशा में प्रकरण का संधारण की अंतिम तिथि
27 मार्च 2023	तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि

31 मार्च 2023	तहसीलदार द्वारा ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि
10 अप्रैल 2023	प्राप्त दावा-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि, तहसीलदार द्वारा आबादी घोषित करवाये जाने की अंतिम तिथि
13 अप्रैल 2023	ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित किया जाना
14 अप्रैल 2023	ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत
20 अप्रैल 2023	ग्राम सभा के अभिमत को तहसीलदार के रीडर द्वारा RCMS पर अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि
30 अप्रैल 2023	तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाना

जिला कलेक्टर इस अभियान हेतु जिले के समस्त अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करें, समय समय पर अभियान के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा सुनिश्चित करें।

(प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनुमोदित)

(डा. संजय गोयल)
प्रमुख राजस्व आयुक्त

566210/2022/PRC(GRM)

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
प्लाट नं 220 राजस्व भवन, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
दूरभाष-0755-2559537, फैक्स-0755-2550972, ई-मेल-Prirevcom@mp.gov.in

क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC / 1939 भोपाल दिनांक:-24/02 /2022

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में किये जाने बावत्।

****

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-13/2021/सात-7 भोपाल दिनांक 28/10/2021 से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जायेगा । मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाऐं । अभियान अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाऐं :-

1. (अ) आवेदन की प्रक्रिया-

1. अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्रांतर्गत आवेदनकर्ता से SAARA App के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ।
2. आवेदक SAARA App पर स्वंय भी आवेदन कर सकता है।
3. आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 घोषित की जाती है, अतः योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

(ब) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच- आवदेन पत्र पटवारी के Login (SAARA App) पर प्रदर्शित होंगे । पटवारी एवं ग्राम सचिव का संयुक्त दल आवेदन पत्रों की जांच कर अपने अभिमत सहित तहसीलदार के Login (SAARA App) पर भेजेंगे ।

(स) तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना- तहसीलदार जांच दल से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदको की सूची तैयार करेगा और इसे RCMS पर Push करेगा जिससे RCMS में ग्रामवार प्रकरण पंजीबद्ध हो जाऐगा ।

(द) ईश्तहार जारी किया जाना- तहसीलदार ईश्तहार जारी कर दावे आपत्तिया प्राप्त करेगा और उनका युक्तियुक्त निराकरण करेगा ।

Scanned with CamScanner

(ई) ग्राम सभा का अभिमत- तहसीलदार पात्र/अपात्र आवेदको की सूची संबंधित ग्राम सभा के अभिमत के लिए प्रेषित करेगा ।

(फ) आदेश पारित किया जाना- तहसीलदार ग्राम सभा के अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भू-खण्ड आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।

2. इस अवधि से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्र, जिनमें जांच दल द्वारा जांच नही कि गई है/कर ली गई है, इस अभियान के तहत निराकृत किये जाऐंगे । यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रकरणों का निराकरण विधिअनुरूप ही किया जाऐ।

3. अभियान का संचालन निम्न सारणी अनुसार किया जाऐ-

नियत दिनांक	गतिविधि
30 जून 2022	आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
16 अगस्त 2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA App पर) व जॉच दल की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किया जाना (SAARA App पर) की अंतिम तिथि
15 सितम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि
30 सितम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि
30 नवम्बर 2022	प्राप्त दावा-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि
15 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित किया जाना
15 से 30 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत
15 दिसम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाया जाने की अंतिम तिथि
माह जनवरी 2023	भू-अधिकार पत्र का वितरण

जिला कलेक्टर इस अभियान हेतु जिले के समस्त अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करें, समय समय पर अभियान के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा सुनिश्चित करें।

(प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनुमोदित)

(डा. संजय गोयल)
प्रमुख राजस्व आयुक्त

Scanned with CamScanner

दूरभाष : कार्यालय : 0755-2559537
फैक्स : कार्यालय : 0755-2550972
ई-मेल : prirevcom@mp.gov.in
prcbhopal@gmail.com

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश

राजस्व भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC/7760 भोपाल दिनांक:- 18/08/2022

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश।

विषय:- **मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में किये जाने बावत्।**

****

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-2-13/2021/सात-7 भोपाल दिनांक 28/10/2021 से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

1. अंतिम आवेदन तिथि 30 जून 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में:

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के लिये विभागीय पत्र क्रमांक क्रमांक PRC/0004/2022-Grameen-PRC/1939 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2022 से चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया गया था। कार्यक्रम अनुसार जाँच पूर्ण की जाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 नियत की गयी थी। समीक्षा के दौरान ये ज्ञात हुआ है की नियत दिनांक के पश्चात भी सम्पूर्ण प्रदेश में 18% जांच लंबित है। लंबित जाँच पूर्ण की जाने हेतु समय अवधि बढ़ा कर 28 अगस्त 2022 की गयी है। कट ऑफ दिनांक 30 जून 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में, लंबित आवेदनों पर जांच की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

साथ ही 15 सितम्बर 2022 तक पट्टे तैयार किये जाने की कार्यवाही की जाये। माह सितम्बर 2022 अंत में की स्थिति में पट्टे हितग्राहियों को वितरण हेतु जिलों द्वारा समस्त तैयारी कर ली जाये।

2. योजनान्तर्गत नवीन आवेदन लिए जाने एवं की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में:

विभाग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि पूर्व में जारी कार्यक्रम अवधि में स्थानीय निर्वाचन होने के कारण कई पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। अतः लोकहित में उपरोक्त कार्यक्रम के साथ-साथ एक अतिरिक्त अभियान प्रारंभ किया जाता है। अभियान अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-

(अ) आवेदन की प्रक्रिया-

1. अभियान के अंतर्गत हल्का स्तर पर हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव अपने क्षेत्रांतर्गत आवेदनकर्ता से SAARA App के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ।
2. आवेदक SAARA App पर स्वयं भी आवेदन कर सकता है।
3. आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2022 घोषित की जाती है, अतः योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि अब कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

(ब) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच- आवदेन पत्र पटवारी के Login (SAARA App) पर प्रदर्शित होंगे। पटवारी एवं ग्राम सचिव का संयुक्त दल आवेदन पत्रों की जांच कर अपने अभिमत सहित तहसीलदार के Login (SAARA App) पर भेजेंगे ।

(स) तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना- तहसीलदार जांच दल से प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र/अपात्र आवेदको की सूची तैयार करेगा और इसे RCMS पर Push करेगा जिससे RCMS में ग्रामवार प्रकरण पंजीबद्ध हो जाऐगा ।

(द) ईश्तहार जारी किया जाना- तहसीलदार ईश्तहार जारी कर दावे आपत्तिया प्राप्त करेगा और उनका युक्तियुक्त निराकरण करेगा ।

(ई) ग्राम सभा का अभिमत- तहसीलदार पात्र/अपात्र आवेदको की सूची संबंधित ग्राम सभा के अभिमत के लिए प्रेषित करेगा ।

(फ) **आदेश पारित किया जाना-** तहसीलदार ग्राम सभा के अभिमत प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण कर पात्र आवेदकों को भू-खण्ड आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा।

<u>**नवीन आवेदन पत्रों का निराकरण निम्न सारणी अनुसार किया जाए-**</u>

नियत दिनांक	गतिविधि
30 सितम्बर 2022	आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि
10 अक्टूबर 2022	प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच (SAARA App पर) व जॉच दल की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किया जाना (SAARA App पर) की अंतिम तिथि
25 अक्टूबर 2022	तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन की अंतिम तिथि
16 नवम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि
30 नवम्बर 2022	प्राप्त दावा-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण की अंतिम तिथि
15 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित किया जाना
15 से 30 दिसम्बर 2022	ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत
15 दिसम्बर 2022	तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाया जाने की अंतिम तिथि
माह जनवरी 2023	भू-अधिकार पत्र का वितरण

जिला कलेक्टर इस अभियान हेतु जिले के समस्त अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नेतृत्व प्रदान करें। बिना सक्षम कारण के आवेदनों को निरस्त न किया जाए। सम्यक जाँच की जाना सुनिश्चित करे, जिससे कोई भी हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे। समय समय पर अभियान के

संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही प्राप्त नए आवेदनों की कार्यवाही भी समय सीमा अनुरूप पूरी की जाये।

(प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. संजय गोयल)
प्रमुख राजस्व आयुक्त